

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 736 / 2002

दर्ज दिनांक:-29.10.2002

1. निन्नूराम पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. भगवानसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

चन्द्रमोहन गुप्ता

प्रार्थी अभिभाषक

कुष्ण कुमार सिंघल

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-29.01.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर